09/05/22 बुलाये फरीकेन उप० प्रार्थी/या / प्रतिवादी/या सं. 1 के प्रा० पत्र धारा 10 CPC पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी जाकर बतौर समाहत की गई। हस्तगत वाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अह[illegible] हुक[illegible] मे[illegible]
	व पूर्व से विचाराधीन वाद सं. 167/2017 उनवानी किस्तुरी देवी v/s चूड़ा राम वगै० का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। दोनों प्रकरणों की विषय वस्तु समान है। अनुतोष भी समान है तथा पक्षकार भी समान है। हस्तगत वाद वादीगण द्वारा दिनांक 11-1-18 को पेश किया गया जबकि वाद सं. 167/17 उनवानी किस्तुरी देवी v/s चूड़ा राम आदि दिनांक 17.11.17 से विचाराधीन है। वाद सं. 167/17 में वादीगण – प्रतिवादी सं. 1,3,4 स्थापित है। इनकी ओर से श्री कैलाशचन्द शर्मा एड. उपस्थित आ रहे है। हस्तगत वाद भी जरिये अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द शर्मा के पेश किया गया है। जबकि पूर्ववर्ती वाद की वादीगण को पूर्ण जानकारी है। अतः हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद पोषणीय [illegible] खारिज किया जा[illegible] नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner